न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1319/2026

CNR No. UPG010038492026

सम्हारे पुत्र रामरूप आयु करीब 48 साल निवासी ग्राम छाछापारा मुतवल्ली थाना मोतीगंज, जिला गोण्डा।

–––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। **–––––– अभियोगी।**

मुकदमा अपराध संख्या 133/2011,
धारा–147,149,323,504,506,427 भा०दं०सं०
थाना मोतीगंज, जिला गोण्डा।

दिनांक 04.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सम्हारे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जरिये अधिवक्ता मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–483 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र से समर्थित जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाद में अभियुक्त है तथा जमानत है। प्रार्थी बराबर मुकदमें की पैरवी करता रहा है। प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति है। मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है। प्रार्थी अपने अधिवक्ता को बताकर बसिलसिले मजदूरी बाहर चला गया था। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के मुकदमें की परवी सुचारु रूप से करते रहने व आवश्यक्ता पड़ने पर प्रार्थी को सूचित करने का आश्वासन दिया गया था किन्तु प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के मुकदमें की पैरवी नहीं किया गया न ही प्रार्थी को मुकदमें की कार्यवाही के बाबत बताया गया। परिणामस्वरूप प्रार्थी से विरुद्ध वारंट आदेश पारित हो गया। प्रार्थी पिछले सप्ताह आया हुआ था कि थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोण्डा के निरुद्ध है। प्रार्थी ने जान बूझकर गैरहाजिरी नहीं की है बल्कि आर्थिक मजदूरी के चलते बाहर चले जाने व पूर्व अधिवक्ता द्वारा मुकदमा की पैरवी के बाबत आश्वासन दिये जाने के कारण हुयी है जो क्षमा योग्य है। प्रार्थी बाद जमानत प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर अदालत होता रहेगा। अभियुक्त द्वारा उचित मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3– अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त जान बूझ कर न्यायालय से अनुपस्थित होकर विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है और बार–बार अनुपस्थित होकर जमानत का दुरूपयोग करता है। अभियुक्त अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अतः अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– सुना तथा थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त की जमानत दिनांक–04.11.2011 को स्वीकार की गई थी। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक–03.05.2025 से अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट की आदेशिकायें निर्गत की गई हैं। जिस पर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कई दिनों से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा भविष्य में उपस्थित होने का वचन दिया गया है। पत्रावली में अभियुक्त का विचारण चल रहा है और अभियुक्त को जेल में निरूद्ध रखने से तत्काल किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण–दोष पर राय व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है, तदानुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6– अभियुक्त सम्भारे द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या–1319/2026 स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Smt. Bachchi Devi Vs. State of U.P. Neutral Citation** 2025: **AHC** 136034, में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्त अन्वेषण, जांच व विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2– अभियुक्त अन्वेषण, जांच व विचारण में सहयोग करेगा तथा आहूत किये जाने पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन, साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हो और आवेदक बयान के समय, धारा–351 बी०एन०एस०एस० के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

sd/–

(फूलचन्द्र कुशवाहा)

दिनांक–04.06.2026

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–4/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।

ID No. UP2712